



शहीदों की आवाज़ कल्याण संघ (पंजीकृत)

Voice of Martyrs Welfare Association (Regd.)

Registration No. HR/001/2014/00342

Regd. Office : # 587, (Park Corner) Sec. 21, Panchkula 134112

Mobile: 09316131225, 09866983525

E-mail : voiceofmartyrsorg@gmail.com | Web : www.voiceofmartyrs.in

Vijay Kr. Sangwan

President

No. VOM/II/8689-91/18

Date : 26th April 2018.

वन्दे मातरम्

सेवामें,

सचिव,

सड़क परिवहन, राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार,

ट्रांसपोर्ट भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय: मातृभूमि और मानवता के लिये अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिवारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोग पर टोल- टैक्स में छूट प्रदान करने हेतु।

महोदय,

हम आज 21वीं सदी में विश्व के शक्तिशाली देशों की कतार में खड़े हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय कुशल नेतृत्व और हमारी बहादुर शक्तिशाली सेना को जाता है। हमारे वीर जवान पीर पंजाल से ऊपर की बर्फिली चोटियों, बाढ़मेर- जैसलमेर के रेगिस्तान, नेपाल- चीन से लेकर म्यांमार तक की कष्टकारी राष्ट्रीय सीमा तथा समस्त तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिये शून्य से निम्नबिन्दु के तापमान तथा 50° डिग्री की उच्चतम गर्मी, सीलन और ऊमस भरे पूर्वी तटीय क्षेत्र में आधी रात एवं दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी मुस्तैद दिखता है, तब देश का समस्त वर्ग चैन की नींद सोता है।

हमारे देश को आजाद करवाने में जितना योगदान महात्मा गांधी जी का है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान सुभाष चन्द्र बोस और मातृभूमि के लिये शहीद होने वाले वीर सैनानियों का है। इस आजादी को बरकरार रखने में वर्ष 1962 भारत-चीन तथा 1965, 1971 व 1999 (कारगिल) भारत-पाक युद्ध के दौरान तथा श्रीलंका व सूडान इत्यादि अन्य देशों में भेजी गई शान्ति सेना से लेकर अब तक हमारे लग-भग 23 हजार शूरवीरों ने अपनी युवा अवस्था में देश की आन, बान और श्यान के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। माफ़ करना यह एक कड़वी सच्चाई है एक दिन हम सबको इस दुनियाँ से चले जाना है, परन्तु ऐसी सौभाग्य-शाली जिन्दगियाँ कम ही नसीब होती हैं जो वत्तन और वत्तनवाशियों पर कुर्बान हो गईं। कहते हैं एक शहीद के घर की चौखट पर कदम रखना मात्र ही चारधाम की यात्रा करने के समान है।

अतः आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि शहीद वीरांगना को राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोग पर टोल- टैक्स में मिलने वाली छूट के साथ- साथ माता- पिता व बच्चों को भी राष्ट्रीय

राजमार्गों के प्रयोग पर टोल- टैक्स में छूट प्रदान करने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास के साथ यह मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोग पर टोल-टैक्स छूट की श्रेणी में शहीद परिवारों का अधिकार शीर्ष पर होना चाहिए, जिससे शहादत का सम्मान बढ़े, जो युवा पीढ़ी में देश के प्रति मर-मिटने का जज्बा और जनून पैदा करेगा। यह एक शहीद परिवारों के मान और शहादत के सम्मान का विषय है इससे राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने व रखरखाव का काम देखने वाली कम्पनियों व सरकार को नुकसान की सम्भावना लेशमात्र है, देश भर में शहीद परिवारों के सदस्यों की संख्या देश की 135 करोड़ आबादी में? अधिक नहीं है क्योंकि 23 हजार शहीद परिवारों में से इसका लाभ व सम्मान प्राप्त करने वाले केवल लग-भग 16 हजार शहीद परिवार ही होंगे।

महोदय सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी सरकार के संज्ञान में इस तरह की बातों को लाया जाये या सरकार उन शहीद परिवारों का दुःख दर्द महसूस करे तो समय-समय पर छोटी-छोटी सुविधाओं के साथ शहीद परिवारों को यह अहसास करवाया जाये की सरकार हर पल शहीद परिवारों के प्रति जिम्मेदारी के साथ चिंतित व समर्पित रहती है। हम आपके सहयोग से शहीद परिवारों का दुःख बाँट कर उन्हें हल्की सी मुस्कान प्रदान कर पायें, तो वह शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो शहीद परिवारों को मान- सम्मान के साथ जीने का अर्थ और मजबूती प्रदान करेगी... **जय हिन्द !**

धन्यवाद सहित।

निष्ठापूर्वक,



(विजय कु.सांगवान)

प्रधान,

शहीदों की आवाज़ कल्याण संघ।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को विनम्रता पूर्वक आदर सम्मान सहित इस आशा और विश्वास के साथ प्रेषित करते हुये अनुरोध किया जाता है कि मातृभूमि और मानवता के लिये अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के माता-पिता व बच्चों को भी, राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोग पर टोल-टैक्स में छूट प्रदान करने हेतु आप द्वारा हिर्दय की गहराइयों से अमल करते हुए शीघ्र ठोस कदम उठाये जायेंगे... **जय हिन्द !**

1. श्री नितिन गडकरी जी, माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्री, भारत सरकार, ट्रांसपोर्ट भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार, 104 साउथ ब्लॉक नई दिल्ली।
3. माननीय, प्रमुख सेना अध्यक्ष, भारत सरकार, सेना मुख्यालय, साउथ ब्लॉक, डी.अच.क्यू, पी.ओ.नई दिल्ली।

